

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 432 / गोपनीय / 2021  
दो-2-1 / 2021

जबलपुर, दिनांक 22 जून, 2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अरूण कुमार खरादी	मण्डलेश्वर	रतलाम	रतलाम	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2	श्री प्रवीण शिवहरे	बड़वाह	शाजापुर	शाजापुर	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर (जूनियर) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर	अशोकनगर	हरदा	हरदा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
4	श्री अनुराग द्विवेदी	पन्ना	सतना	सतना	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

5	श्री आदेश कुमार जैन, विधिक सलाहकार, म.प्र. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर	भोपाल	उज्जैन	उज्जैन	दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
6	श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर	सीहोर	भोपाल	भोपाल	ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
7	श्रीमती आरती ए. शुक्ला	खुरई	होशंगाबाद	होशंगाबाद	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
8	श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-2)	छतरपुर	जबलपुर	जबलपुर	दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

टिप्पणी:-

- (1).रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 236/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 23-03-2021, जहां तक इसका संबंध श्री अरुण कुमार खरादी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर का, मण्डलेश्वर से शहडोल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (2).रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 237/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 23-03-2021, जहां तक इसका संबंध श्री प्रवीण शिवहरे, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वाह जिला मण्डलेश्वर का, बड़वाह जिला मण्डलेश्वर से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (3).रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 236/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 23-03-2021, जहां तक इसका संबंध श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर (जूनियर), सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर का अशोकनगर से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला बैतूल की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (4).रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 237/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 23-03-2021, जहां तक इसका संबंध श्री अनुराग द्विवेदी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना का पन्ना से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (5).रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 236/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 23-03-2021, जहां तक इसका संबंध श्री आदेश कुमार जैन, विधिक सलाहकार, म.प्र. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ, भोपाल का भोपाल से , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (6).रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 237/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 23-03-2021, जहां तक इसका संबंध श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर का सीहोर से, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

- (7).रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 236/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 23-03-2021, जहां तक इसका संबंध श्रीमती आरती ए. शुक्ला, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खुरई जिला सागर का खुरई जिला सागर से, उन्तीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (8).रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 237/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 23-03-2021, जहां तक इसका संबंध श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-2), द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर का छतरपुर से, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (9).रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

  
(राजेन्द्र कुमार वाणी) 24/06/21  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 433 /गोपनीय/2021  
दो-2-1/2021


जबलपुर, दिनांक 22 जून, 2021

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर (जूनियर) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर तथा श्री आदेश कुमार जैन, विधिक सलाहकार, म.प्र. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ, भोपाल की पदस्थापना, नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं उच्च न्यायालय को सौंपे जाने संबंधी आदेश राज्य शासन से प्राप्त कर, इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर (जूनियर) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें, जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 30.06.2021 अथवा उसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

4. डॉयरेक्टर जनरल, म.प्र. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ, ई.ओ.डब्ल्यू. भवन, 12, अरेरा हिल्स, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया **श्री आदेश कुमार जैन**, विधिक सलाहकार, म.प्र. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ, भोपाल को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें, जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 30.06.2021** अथवा उसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
5. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
6. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 7.
1. **श्री अरूण कुमार खरादी**, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर,
  2. **श्री प्रवीण शिवहरे**, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वाह जिला मण्डलेश्वर,
  3. **श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर (जूनियर)**, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर,
  4. **श्री अनुराग द्विवेदी**, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना,
  5. **श्री आदेश कुमार जैन**, विधिक सलाहकार म.प्र. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ, भोपाल,
  6. **श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर**, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर,
  7. **श्री आरती ए. शुक्ला**, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खुरई जिला सागर,
  8. **श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-2)**, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर,
- को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 30.06.2021** अथवा उसके पूर्व अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें। निर्देशानुसार यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.06.2021 के बाद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में और वृद्धि नहीं की जावेगी।
9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **मण्डलेश्वर/अशोकनगर/पन्ना/सीहोर/सागर/छतरपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 30.06.2021** अथवा उसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
10. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **रतलाम/शाजापुर/हरदा/सतना/उज्जैन/भोपाल/होशंगाबाद/जबलपुर/शहडोल/मण्डला/बैतूल/अलीराजपुर/राजगढ़ एवं शिवपुरी** को सूचनार्थ अग्रेषित।
11. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ..... को सूचनार्थ अग्रेषित।
12. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस0ए0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-

- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर**/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, **इन्दौर** - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, **ग्वालियर** (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
13. रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
14. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
15. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
16. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
17. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
18. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
19. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

  
 (राजेन्द्र कुमार वाणी) 20/6/14  
 रजिस्ट्रार जनरल